कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय इंद्रावती भवन
सी ब्लाक–3 द्वितीय एवं तृतीय तल नया रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक / 45 / /आउशि/आडिट/18

रायपुर,दिनांक 04/05/2018

प्रति,

प्राचार्य,
शासकीय राजमाता विजया राजे सिंधिया कन्या महाविद्यालय,
कवर्धा
जिला कबीरधाम (छ0ग0)

विषयः– महाविद्यालय विभागीय अंकेक्षण अवधि 09/2013 से 09/2017

संदर्भः–आपका पत्र क्रमांक 07/स्था/2018 कवर्धा दिनांक 05.04.2018
कार्यालयीन पत्र क्रमांक 22/आउशि/आडिट/2017 नया रायपुर, दिनांक 13.03.2018

उपरोक्त संदर्भित पत्र के तारतम्य में निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति संचालनालय के टीप सहित संलग्न प्रेषित है ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार ।

04/05/18

सहा संचालक(वित्त)
उच्च शिक्षा संचालनालय
नया रायपुर (छ0ग0

3.

कार्यालय प्राचार्य
शासकीय राजमाता विजया राजे सिंधिया कन्या महाविद्यालय कवर्धा,
जिला–कबीरधाम (छ.ग.)

Contact No. 07741-232054
E-Mail-rvrsgirlscollegekwd@gmail.com

आ.बि.
20 FEB 201

//प्रारुप//

कडिका क्रमांक	कडिका की नकल	प्राचार्य का उत्तर	संचालनालय की टीप
1.	**प्रतिभूति की राशि जामा करने बाबत्** :– महाविद्यालय में कार्यरत कीडाधिकारी, ग्रंथपाल, लेखापाल, कैशियर एवं स्टोर प्रभारी से प्रतिभूति की राशि जमा नहीं कराई गई है जो वित भाग – 1 के नियम 282 के विपरीत है। अतः संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारियों से नियमानुसार प्रतिभूति की राशि रु0 1000/ जमा करा कर ऑडिट को अवगत करावें।	कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों से वित संहिता भाग –1 के नियम 282 के अनुसार प्रतिभूति की राशि जमा होते ही अगामी ऑडिट पार्टी से सत्यपित कराया जायेगा। अतः कडिका निरस्त करने का कष्ट करें।	यथावत संयुक्त संचालक (वित्त) उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर (छ.ग.)
2.	**काशनमनी की राशि राजसात किए जाने बाबत्** :– महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले छात्रों से काशनमनी ली जाती है तथा उनकें महाविद्यालय छोड़ने के तीन वर्ष के भीतर उनके मांगे जाने पर लौटाया जाता है, तथा जो राशि नहीं लौटायी जाती उसे राजसात कर कोषालय में जमा किया जाना चाहिए। अंकेक्षण अवधि में वर्ष 2005–06 से काशनमनी की राशि को राजसात कर कोषालय में जमा किया जाना नहीं पाया गया जिससे शासन को राजस्व की हानि हो रही है। कृपया काशनमनी की राशि जो छात्रों को नहीं लौटायी गई है कि वर्ष 2005–06 से अंकेक्षण अवधि तक का वर्षवार नियमानुसार गणना कर राजसात किया जावे तथा इस राजसात राशि को कोषालय में जमा चालान की छायाप्रति से ऑडिट को अवगत करावे।	शासन के निर्देशानुसार महाविद्यालय में अध्ययनरत शैक्षणिक सत्र 2005–06 से 2013–14 तक कि अवधान राशि 86,220/–रु. नियमानुसार राजस्व प्राप्ति शीर्ष में चालाना कमांक 22 दिनांक 22.12.2017 के माध्यम से भारतीय स्टैट बैंक कवर्धा में जमा कराई जा चुकी तत् संबंधी चालान की प्रति ऑडिट अवलोकनार्थ संलग्न है। कृपया कंडिका निरस्त करने का कष्ट करें।	निरस्त मान्य संयुक्त संचालक (वित्त) उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर (छ.ग.)
3.	**चालानो का सत्यापन न कराये जाने बाबत्**:– अंकेक्षण के दौरान पाया गया	संस्था में अध्ययनरत विद्यार्थियों से वसूल की गई शासकीय	

PRINCIPAL
New Govt. Girls College
Kawardha
Distt- Kabirdham (C.G.)

	... कोषालय में जमा किए जाने वाली राशियों का चालान रजिस्टर तैयार किया गया है परन्तु चालानों का कोषालय से सत्यापन कराया जाना नहीं पाया गया। छ0ग0 कोषालय संहिता भाग–1 के सहायक नियम 53 के अनुसार शासकीय चालानों का कोषालय अधिकारी से सत्यापन कराया जाना आवश्यक है। कृपया चालानों का सत्यापन कराया जा कर ऑडिट को अवगत करावें तथा भविष्य में ऑडिट की मंशानुसार कार्यवाही किया जाना सुश्चित करें।	शुल्क की राशि शासन के निर्देशानुसार चालान के माध्यम से भारतीय स्टैट बैंक कवर्धा में जमा किये जाने उपरांत जिला कोषालय कवर्धा से इसका सत्यापन कराया जा चुका है सत्यापन के संबंध में कोषालय अधिकारी कवर्धा द्वारा जारी प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित सत्य प्रति संलग्न है कृपया कंडिका निरस्त करने का कष्ट करें।	निर्णीत 14/3/18 संयुक्त संचालक (वित्त) उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर (छ.ग.)
4.	**चालान उपलब्ध न होने बाबत्:–** अंकेक्षण अवधि में शासकीय केशबुक एवं व्हाऊचरों के परीक्षण करने पर पाया गया कि कैशबुक के पृष्ट कमांक 08 दिनांक 19.07.2014 में चालाना कमांक 00026 दिनांक 19.07.2014 की राशि रु. 1592/– का चालान कोषालय में जमा किये जाने की प्रविष्टि की गई है परंतु चालान के अभाव में उक्त प्रविष्टि ऑडिट को मान्य नहीं है। कृपया चालान उपलब्ध करावें अथवा संबंधित से उक्त राशि की वसूली कर कोषालय में जमा किया जावें तथा चालान की छायाप्रति से ऑडिट को अवगत करावें।	दिनांक 15.07.2014 को विद्यार्थियों से प्राप्त शिक्षण शुल्क की राशि 784 रु. पंजीकृत पृष्ठ कमांक 07 के अनुसार प्राप्त की गई थी जिसे नियमानुसार दिनांक 17.07.2014 को चालान कमांक 17 के माध्यम से भारतीय स्टैट बैंक कवर्धा शाखा में जमा कराया गया जबकि दिनांक 17.07.2014 को विद्यार्थियों से प्राप्त शासकी शुल्क की राशि 808 रु. जोकि शुल्क डी.एफ. सी. पेज कमांक 122 के माध्यम से वसूल होने उपरांत भारतीय स्टैट बैंक कवर्धा में चालान कमांक 26 दिनांक 19.07.2014 के माध्यम से जमा कराई जा चुकी है। लिपिकीय त्रुटिवस प्रारंभिक शेष में 784रु. अनुचित होने एवं दिनांक 17.07.2014 को शासकीय शुल्क की प्राप्ति रु. 808 त्रृटिवस अंकित होने के कारण रु. 1592/– दर्शाया गया है। जबकि वास्तव में यह राशि 808रु. ही थी जिसे उपरोक्तानुसार चालान के माध्यम से 19.07.2014 को जमा कराया जा चुका है। कंडिका की निरस्तीकरण हेतु उक्त दिनांक के कैशबुक की अभिप्रमाणित छाया प्रति एवं 808रु. की चालान की प्रति संलग्न हैं कृपया कंडिका निरस्त करने का कष्ट करें।	निर्णीत मान्य 14/3/18 संयुक्त संचालक (वित्त) उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर (छ.ग.)

PRINCIPAL
New Govt. Giris College
Kawardha
Distt- Kabirdham (C.G.)

	[illegible] छात्रवृत्ति के संबंध में :- वर्ष 2008-09 से 2013-14 तक अवितरित छात्रवृत्ति की राशि रु.1,29,000/- चालान क्रमांक 025 दिनांक 24.01.2015 को शीर्ष मांग संख्या 44- उच्च शिक्षा 2202-सामान्य शिक्षा 03-विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा 107-छात्रवृत्ति 0101-राज्य आयोजना सामान्य 5672-बी.पी.एल. छात्रवृत्ति में जमा किया गया है। जबकि इसे राजस्व प्राप्तियां शीर्ष में जमा किया जाना चाहिए था।	महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को शासन द्वारा बी.पी.एल. छात्रवृत्ति की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की गई थी। विवरण सूची संलग्न है। उपरोक्त तालिका के अनुसार शासन से आबंटित बी.पी.एल. छात्रवृत्ति का वर्षवार आहरण एवं वितरण नियमानुसार किया गया है। एवं अवितरित छात्रवृत्ति की राशि 2008-09 से 2013-14 तक अवितरित राशि 1,29,000/-रु. भारतीय स्टैट बैंक कवर्धा में जमा कराई गई है। अवलोकनार्थ खाता क्रमांक 30363948006 के पासबुक के छायाप्रति एवं चालान की प्रति संलग्न है। कृपया कंडिका निरस्त करने का कष्ट करें।	समाधान [signature] 1/3/18 संयुक्त संचालक (वित्त) उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर (छ.ग.)
6.	**फर्नीचर क्रय करने के संबंध में:-** अंकेक्षण अवधि में शासकीय कैशबुक एवं व्हाऊचर के परीक्षण पर पाया गया कि संलग्न सूची अनुसार राशि रु. 14,88,522/-का फर्नीचर/पुस्तकें/कम्प्युटर/फोटोकॉपीयर/प्रायोगिक सामग्री एवं खेलकूद सामग्री का क्रय टुकड़ों-टुकड़ों में किया गया है। "छ.ग. वित्तीय संहिता भाग-1 के नियम 119 अनुसार" सामग्री का क्रय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से बचने के लिए टुकड़ों-टुकडो में क्रय नहीं किया जाना चाहिए। छ.ग. वित्तीय अधिकार की पुस्तिका 1995 में स्नातक प्राचार्य को रु. 30000/- प्रति चीज तथा रु. 50000/- प्रति इंटेन्ट तक क्रय करने का अधिकार प्रदत्त है, इस संबंध में आयुक्त, उच्च शिक्षा भी निर्देश जारी किये है। उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर के पत्र क्रमांक 222/13 दिनांक 27.09.2013 द्वारा उक्त क्रय हेतु राशि आबंटन जारी किया गया तथा सामग्री क्रय की स्वीकृति भी दी गई एवं निर्देशित किया गया की सामग्री क्रय करते समय छ.ग. शासन के भण्डार क्रय नियमों एवं नियमों का पालन नहीं किया जावे। प्राचार्य द्वारा उपरोक्त क्रय	राज्य शासन द्वारा स्थापित नवीन महाविद्यालय होने के कारण विभिन्न मदों में आबंटन की मांग किये जाने के पश्चात उच्च शिक्षा संचालनालय द्वारा निम्नानुसार मदों में आबंटन जारी किया गया। फर्नीचर मद में 400000 रु., पुस्तक एवं पत्रिका मद में 400000 रु., अन्य व्यय खेलकूद सामग्री मद में 200000 रु., सूचना प्राद्यौगिकीय मद में 300000 रु., भण्डा तथा कच्चा माल मद में 400000 रु. चूंकि उपरोक्त सामग्रीयों का संस्था में अभाव था। अतएव क्रय की स्वीकृति की प्रत्यासा में सामग्रीयों का क्रय प्राचार्य को प्रदत क्रय सीमा के अंतर्गत क्रय आदेश जारी किया गया। अतएव उपरोक्त विवरण के प्रकाश में चूंकि भण्डार क्रय नियम का पालन करते हुए कि क्रय आदेश जारी किये गये थे। अतः कंडिका निरस्त करें सुलभ संदर्भ के लिए शासन को प्रेषित क्रय की स्वीकृति के संबंध में भेजे गये पत्र की	निराकृत [signature] 1/3/18 संयुक्त संचालक (वित्त) उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर (छ.ग.)

[signature]
PRINCIPAL
New Govt. Girls College
Kawardha
Distt-Kabirdham (C.G.)

	[illegible] भण्डार क्रय नियमों का पालन नहीं किया गया। अतः भण्डार क्रय नियमों का पालन नहीं किये जाने के संबंध में वस्तुस्थिति से ऑडिट को अवगत करावें।	अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न है।	
7.	**अनुपयोगी सामग्रीयों के अपलेखन के संबंध में** :– अंकेक्षण अवधि में संलग्न अनुसार वर्ष 2016–17 के भौतिक सत्यापन के दौरान अनुपयोगी पाये गये सामग्रियों का नियमानुसार की कार्यवाही किया जाकर ऑडिट को अवगत करावें।	शासन एवं उच्च शिक्षा के निर्देशानुसार महाविद्यारलय में प्रतिवर्ष भौतिक सत्यापन किया जा कर निर्देशानुसार अनुपयोगी सामग्रीयों का अपलेखन किया जाता तदनुसार वर्ष 2016–17 में भौतिक सत्यापन पश्चात अपलिखित की गई सामग्रीयों की सूची संलग्न है। कृपया कंडिका निरस्त करने का कष्ट करें।	नियमानुसार अपलेखन की कार्यवाही किया जाना है। यथावत [signature] 14/3/18 संयुक्त संचालक (वित्त) उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर (छ.ग.)
8.	**व्हाऊचर उपलब्ध न होने के संबंध में** :– अंकेक्षण अवधि में शासकीय कैशबुक एवं व्हाऊचरों के परीक्षाण करने पर पाया गया कि कैशबुक पृष्ठ कमांक 23 दिनांक 1.09.2014 में अंकित सब व्हाऊचर कमांक 36 दिनांक 01.09.2014 की राशि रु.3,555/– कि व्हाऊचार उपलब्ध नहीं पाये गये। व्हाऊचर के अभाव में किया गया भुगतान मान्य योग्य नहीं है।	व्हाऊचर कमांक 36 दिनांक 01.09.2014 की राशि रु. 3,555/– का भुगतान दिनांक 08.08.2014 को दूरसंचार विभाग दुर्ग को भुगतान किया गया है। छायाप्रति अवलोकनार्थ संलग्न है। तत्संबंधी व्हाऊचर का सत्यापन आगामी अंकेक्षण दल से करा लिया जावेगा। कृपया कंडिका निरस्त करने का काष्ट करें।	निराकृत [signature] 14/3/18 संयुक्त संचालक (वित्त) उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर (छ.ग.)
9.	**पी.डी. खाते में जमा राशि के संबंध में** :– वित विभाग के ज्ञापन कमांक 2117/97/सी/चार दिनांक 16.12. 1997 एवं कोषालय संहिता भाग–1 के सहायक नियम 584 के प्रावधान अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर संबंधित पी.डी. खातें के प्रशासक से यह प्रमाण–पत्र लिया जावे कि, उनके अभिलेखों के अनुसार अंतिम शेष बराबर है। इसमें यदि अंतर दृष्टिगोचर हो तो अंतर की राशि सत्यापन तत्काल किया जावें। महाविद्यालय के पी.डी. एवं ए. एफ. कैशबुक का परीक्षण करने पर कैशबुक एवं पी.डी. पासबुक में निम्नानुसार राशि रु.36,302/– का अंतर पाया गया :– 1. दिनांक 31.03.2017 की स्थिति में पासबुक अनुसार जमा राशि–10,83,022/– 2. पी.डी. कैशबुक पृष्ठ कमांक	पी.डी. खाते में जमा राशि के संबंध में सूचित किया जाता है कि लिपिकिय त्रुटिवस योग में भिन्नता आने के कारण 36302. रु. का अन्तर पाया गया था। जिसे संशोधित करते हुए पी.डी. खाते में जमा राशि का मिलान कर लिया गया है। जिसे आगामी ऑडिट पार्टी से सत्यापित करा लिया जावेगा कृपया कंडिका निरस्त करने का कष्ट करें।	यथावत [signature] 14/3/18 संयुक्त संचालक (वित्त) उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर (छ.ग.)

PRINCIPAL
New Govt. Girls College
Kawardha
Distt- Kabirdham (C.G.)

	106 दिनांक 23.022017 अनुसार राशि– 7,65,984/– 3. ए.एफ. कैशबुक पृष्ठ कमांक 76 दिनांक 07.03.2017 अनुसार राशि– 2,80,736/– कुल योग :– **10,46720** अंतर की राशि **36,302**		
10.	**वैट टैक्स चालान की प्रति उपलब्ध न होने संबंध में :–** शासकीय कैशबुक एवं व्हाऊचरों के परीक्षण करने पाया गया कि संलग्न सूची अनुसार कय की गई सामग्रीयों के देयक का भुगतान वैट टैक्स की कटौती कर लिया गया है, किन्तु वैट टैक्स के चालान की प्रति उपलब्ध नहीं पाया गया। कृपया कोषालय अथावा संबंधित फर्मो से उक्त वैट टैक्स के चालानों की प्रति प्राप्त कर ऑडिट को उपलब्ध करावें।	संस्था में कय की गई सामग्रीयों के भुगतान में नियमानुसार वैट टैक्स की कटौती करने हुए संबंधित फर्म को भुगतान किया गया है। वैट टैक्स से संबंधित जमा किये गये चालान की प्रति सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न है। कृपया कंडिका निरस्त करने का कष्ट करें। संलग्नः– चालान की छायाप्रति 3	निराकृत (हस्ताक्षर) 14/3/18 संयुक्त संचालक (वित्त) उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर (छ.ग.)
11.	**कोषालय से अग्रिम आहरण के संबंध में** :– अंकेक्षण अवधि में शासकीय कैशबुक एवं व्हाऊचरों के परीक्षण करने पाया गया कि बिल कमांक 98 दिनांक 27.02.2017 द्वारा संबंद्धता शुल्क हेतु राशि रु. 3,00,000/– का अग्रिम आहरण कर इसकी प्रविष्टि कैशबुक पृष्ठ कमांक 74 दिनांक 07.03.2017 पर की गई है तथा इस राशि का व्यय न कर प्राचार्य के खाते में जमा किया गया है। छ.ग. कोषालय संहिता भाग–1 के सहायक नियम 284 के अनुसार बिना तत्काल आवश्यकता के कोई भी राशि कोषालय से अग्रिम आहरित नहीं किया जाना चाहिए। नियमानुसार राशि, व्यय के लिए जिस वित्तीय वर्ष के लिए स्वीकृत किया गया है, उसी वित्तीय वर्ष में व्यय किया जाना चाहिए। अतः इस राशि को वित्तीय वर्ष समाप्ति उपरांत व्यय नहीं किये जाने की स्थिति में शासकीय खजाने में जमा किया जाकर चालान की छायाप्रति से ऑडिट को अवगत करावें।	राज्य शासन द्वारा स्थापित यह एक नवीन संस्था है। जहां प्रशिक्षित एवं अनुभवी कर्मचारियों का अभाव है। इसके वजह से शासन द्वारा संबंद्धता शुल्क हेतु रु. 300000. का आबंटन प्राप्त होने के पश्चात देयक कमांक .98 दिनांक 27.02.2017 के माध्यम से राशि का आहरण कोषालय से किया गया था। जिसमें से कुलसचिव वि.वि. दुर्ग को चैक कमांक 495649 दिनांक 19.01.2017 राशि 23500 रु. का आवेदन प्रत्र शुल्क का भुगतान किया गया है। वि.वि. पत्र कमांक 1280/अका./2017 दिनांक 05.10.2017 एवं वि.वि. निर्देशानुसार निरीक्षण समिति के चार सदस्यों को रु. 17655 का भुगतान किया गया। उनके पावती के छायांप्रति संलग्न है। व्यय पश्चात शेष राशि रु. 285845रु. प्राचार्य खाता में सुरक्षित है। जिसे अति शीर्घ शासन के खाते में जमा किया जाना प्रस्तावित है। जमा किये जाने पश्चात ऑडिट पार्टी को सूचित किया जावेगा।	यथावत जमा राशि पर अर्जित ब्याज सहित शासन के खजाने में जमा किया जावे (हस्ताक्षर) 12/3/18 संयुक्त संचालक (वित्त) उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर (छ.ग.)

PRINCIPAL
New Govt. Girls College
Kawardha
Distt- Kabirdham (C.G.)

	स्वाध्यायी छात्रों से ली गई शुल्क की राशि के संबंध में :– अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि स्वाध्यायी छात्रों से प्रायोगिक कार्य हेतु वर्ष 2013–14 से 2016–17 तक कुल 515 छात्रों से राशि रु. 1,37,650/–रु. वसूल किया गया। यह राशि महाविद्यालय के पी.डी. खाते में जमा है। वसूल कि गई राशि में से प्रति छात्र 100/–रु. की दर से कुल 515 छात्रों का 51,500 अवधान राशि जो छात्रों का वापस नहीं लौटायी गई है, को शासकीय खजाने में जमा कर चालान की प्रति से ऑडिट को अवगत करावें।	प्रायोगिक कार्य हेतु स्वाध्यायी छात्रों से ली गई राशि जो 515 छात्रों हेतु रु. 51500 होती है नियमानुसार शासन के खजाने में जमा कर दी गई है। चालान क प्रति संलग्न है। कृपया कंडिका निरस्त करने का कष्ट करें।	निरस्त 14/3/18 संयुक्त संचालक (वित्त) उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर (छ.ग.)
13.	**पी.डी. मद के व्हाऊचर उपलब्ध न होने के संबंध में** :– अंकेक्षण अवधि में अशासकीय कैशबुक एवं व्हाऊचरों के परीक्षण करने पर पाया गया कि पी.डी. कैशबुक पृष्ठ कमांक 61 दिनांक 19.11.2015 में अंकित सब व्हाऊचर कमांक 133 दिनांक राशि रु. 2,388/– एवं पी.डी. कैशबुक पृष्ठ कमांक 65 दिनांक 29.12.2015 में अंकित सब व्हाऊचर कमांक 138 दिनांक राशि रु. 4,800/–के व्हाऊचर उपलब्ध नहीं पाये गये। व्हाऊचर के अभाव में किया गया भुगतान मान्य योग्य नहीं है।	व्हाऊचर कमांक 133 दिनांक राशि रु. 2,388/– विकास मेडिकल स्टोर कवर्धा के कैशमेमो दिनांक 19.11.2015 के लिए भुगतान की जाने से संबंधित है अतः प्रमाणक अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न है। एवं व्हाऊचर कमांक 138 दिनांक राशि रु. 4,800/– का भुगतान पं.रविशंकर शुल्क विश्वविद्यालय रायपुर को पावती कमांक जी–1/13202 दिनांक 26.12.2015 के माध्यम से किया गया था। पावती की सत्यप्रतिलिपि कंडिका निरस्तीकरण हेतु संलग्न है। कृपया कंडिका निरस्त करने का कष्ट करें।	निरस्त 14/3/18 संयुक्त संचालक (वित्त) उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर (छ.ग.)

(डॉ0 बी.एस.चौहान)
PRINCIPAL
New Govt. Giris College
Kawardha
Distt-Kabirdham (C.G.)